भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 8B/HPB/02/35/2016/1469

दिनांकः 21. .12. 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आमर्सडेल बिल्डिंग,शिमला।

विषय : Diversion of 4.094 ha of forest land in favour of POWERGRID Kala Amb Transmission Ltd. (wholly owned Subsidiary of Power Grid Corporation of India, Ltd., A Govt. of India Enterprised) for LILO of existing 400 KV Double Circuit Karcham-Wangtoo-Abdulapur Transmission line near Kala Amb, HP, within the jurisdiction of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, H.P.

सन्दर्भ : **Online Proposal No. FP/HP/TRANS/14566/2015 तथा नोडल अधिकारी एवं मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0), हिमाचल प्रदेश का पत्रांक एफ0टी0–48–3152/2015 (एफ0सी0ए0) दिनांक 15.11.2016**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/HP/TRANS/14566/2015 तथा नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0), हिमाचल प्रदेश के पत्रांक Ft.–48–3152/2015 (एफ0सी0ए0) दिनांक 11.05.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–19.08.2016 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी एवं मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0), हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार Diversion of 4.094 ha of forest land in favour of POWERGRID Kala Amb Transmission Ltd. (wholly owned Subsidiary of Power Grid Corporation of India, Ltd., A Govt. of India Enterprised) for LILO of existing 400 KV Double Circuit Karcham-Wangtoo-Abdulapur Transmission line near Kala Amb, HP, within the jurisdiction of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, H.P हेतु **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

2. प्रतिपूर्ति पौधारोपरण प्रस्ताव के अनुसार RF Gumati Sambhalwa C-2 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 8.188 हे0 वन भूमि पर पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसमीशन लाईन के नीचे, RoW के अंदर जहॉ–जहॉ संभव हो, बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधों) के रोपण एवम् 7–10 वर्षों तक रख–रखाव वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वृक्षारोपण योजना हेतु प्राप्त राशि के अनुसार इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

4. Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.

5. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.

क्रमशः

6. During construction of transmission line, pollarding/pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer.

7. Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.

8. In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum clearance between conductor and trees as 5.5 m for 400 KV.

9. In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.

10. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

13. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

14. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

15. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 110 से अधिक न हो।

16. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no. , Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।

17. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

18. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

19. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवम् वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक